

भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा  
अतारंकित प्रश्न सं. 1742  
10 माच, 2017 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सीजीएचएस सुविधा

1742. श्री दिव्येन्दु अधिकारी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे कि:

- (क) क्या सरकार ठेके पर काम करने वाले और सह-अर्वाध आधार पर काम करने वाले कमचारियाँ सहित सभी केन्द्रीय कमचारियाँ को सीजीएचएस काड जारी करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ठेके के समाप्त होने और रोजगार समाप्ति के अन्त म संबंधित व्यक्ति या उसके परिवार को जीएचएस पशन सुविधाएं प्रदान नहीं कर रहा है;
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हं;
- (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय राजकोष से वेतन प्राप्त करने वाले ठेका और सह-अर्वाध कमचारियाँ को कितनी संख्या म काड जारी किए गए हं; और
- (ड) सरकार का उक्त कमचारियाँ को एक बार/संपूण जीवन के लिए सीजीएचएस काड प्रदान करने को सुविधा प्रदान करने के विषय म क्या मंतव्य है?

उत्तर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

- (क): कद्रीय कमचारियाँ तथा सह-अर्वाध आधार पर काम करने वाले उन कमचारियाँ को सीजीएचएस काड जारी किया जाता है तो सीजीएचएस द्वारा कवर किए गए क्षेत्र म आते हं। ठेके पर काम करने वाले कमचारियाँ को सीजीएचएस सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती ।
- (ख) तथा (ग): सीजीएचएस सुविधाएं सह-अर्वाध के आधार पर काय करने वाले कमचारियाँ का रोजगार समाप्त होने पर नहीं दी जाती क्योंकि ये सुविधाएं प्रार्थमिक रूप से उन कद्रीय सरकारों कमचारियाँ पशन धारकों को दी जाती है जो अपना वेतन/पशन कद्रीय सिविल प्राक्कलन से प्राप्त करते हं।
- (घ): सह-अर्वाध पर काय करने वाले कमचारियाँ के विषय म अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता। इसलिए यह सूचना प्रदान नहीं की जा सकती।
- (ड): इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

-----